

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

दि०- 13.02.2025

थाना जहानगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अपचारी निवासी मुबारकपुर थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 188/2019 वाद स०- 117/2021 धारा- 376 भा०द०वि० व 5/6 पाक्सो अधिनियम थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 13.02.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फर्रु० द्वारा अपचारी को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष का कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप सिंह



कोर्ट मोहरीर हे०का० राजेन्द्र सिंह



पैरोकार हे०का० नरेन्द्र सिंह



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कादरीगेट

दि०- 13.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्ता खुशबू पत्नी वीरेश निवासी मो० मेवाती थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर मु०अ०सं०- 139/2023 वाद सं०- 771/2023 धारा- 392,411 भा०द०वि० थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 13.02.2025 को मा० न्यायालय एडीजे तृतीय डकैती कोर्ट फरू० द्वारा अभियुक्ता को दोषसिद्ध कर धारा 379,411 भा०द०वि० में 01 वर्ष का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेजसिंह राजपूत



कोर्ट मोहरीर हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार का० ओमपाल



FATEHGARH POLICE

CYBER AWARENESS



श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में थाना कम्पिल पुलिस टीम द्वारा के०एस०आर० इन्टर कालेज कम्पिल फर्रुखाबाद में साइबर कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें थानाध्यक्ष कम्पिल श्री विश्वनाथ आर्या, उ०नि० प्रमोद कुमार, क०आ० योगेश कुमार, का० अवधेश सिंह, का० विजय कुमार, म०का० कुसुमा द्वारा कॉलेज में उपस्थित छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताये गये तथा किसी भी प्रकार के साइबर अपराध का शिकार हो जाने पर तत्काल 1930 पर तथा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने हेतु बताया गया।



मीडिया सेल फतेहगढ़

